तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चेतराम शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1150	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी की बहस सुनी गई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(5)(2) आरटीई/प्रथम अपील/05959/संआज/2024/372 दिनांक 28.04.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 21.01.2025 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत पत्र के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 06.03.2025 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्री चेतराम शर्मा को कुल 46 पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियॉ रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन से बिन्दू संख्या 1 व 2 के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 06.03.2025 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्री चेतराम शर्मा को (26+20) कुल 46 पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियॉ रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अपीलार्थी अन्य कोई वांछित सूचना हेतु पृथक से आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व वलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	